

OFFICE OF THE DEAN STUDENT WELFARE

No.DSW/ 1245

Dated: Jan. 23, 2019

Office Order

As per decision taken in the University Management Committee (UMC-6) meeting dated 29.12.2018 on item No. 06 and in anticipation of approvals from AC & BOM, Vice Chancellor has been please to allow the use of motorized two wheelers to PhD students for visiting the research fields. The student will submit an undertaking on prescribed performa (Annexure-1) from their parents that they have no objection in allowing motorcycle/scooter to their wards and are fully aware of consequences.

These orders will come into force with immediate effect.



(R.S. Jadoun)
Dean Student Welfare

Cc:

1. All Deans/Chief Wardens.
2. All Hostel Wardens.
3. Registrar.
4. DAM
5. Security Officer.
6. I/C University Website.
7. All notice boards
8. PS to Vice Chancellor for kind information of Vice Chancellor.

Annexure-I

विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को मोटरसाईकिल/स्कूटर के प्रयोग हेतु शपथपत्र

- मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री आईडी न0 जो कि विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, को अपने अनुसंधान कार्यस्थल तक आने जाने हेतु हेलमेट समेत मोटरसाईकिल/स्कूटर प्रयोग करने की आवश्यकता है।
2. मुझे मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यस्थल तक मोटरसाईकिल/स्कूटर के प्रयोग निर्धारित गति सीमा (40 किमी/घंटा) में करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 3. यदि उक्त मोटरसाईकिल/स्कूटर के प्रयोग के फलस्वरूप कोई दुष्परिणाम यथा- दुर्घटना/चोट/मृत्यु होने की स्थिति में समस्त दायित्व मेरा होगा। विश्वविद्यालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
 4. मैं अपने पुत्र/पुत्री को मोटरसाईकिल/स्कूटर संख्या उपलब्ध करा रहा हूँ। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स उपलब्ध है जिसका नम्बर - है।
 5. मेरा पुत्र/पुत्री उक्त वाहन का प्रयोग स्वयं करेगा। किसी अन्य को प्रयोग की अनुमति नहीं देगा। उल्लंघन होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
 6. मेरे द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को उपलब्ध कराये गये मोटरसाईकिल/स्कूटर पर वि.वि. के सुरक्षा विभाग से निर्गत किये जाने वाले वाहन मॉनोग्राम को भी प्राप्त कर वाहन पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जायेगा तथा मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा सभी यातायात नियमों की पालन किया जायेगा।
 7. मैं शपथपत्र के साथ 1. अपने आधार कार्ड की सत्यापित प्रति 2. वाहन पंजीकरण की सत्यापित प्रति 3. पुत्र/पुत्री के वैध ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रति संलग्न कर रहा हूँ।
- संलग्नक: बिन्दु संख्या-6 में वर्णित अभिलेख
दिनांक:

माता/पिता के हस्ताक्षर